

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा
 (प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 शिविर- शंकरराजे)

प्रकरण संख्या / 192/2023

दिनांक - 15/05/2023


उपवान
 श्री फुलाल उर्फ अमूल गल
 पिता रामलाल भीगा

बनाम
 सरकार जरिये तहसीलदार
 जहाजपुर जिला भीलवाडा

:: आदेश ::


प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का वेड भू. अ. नि. लीवकर एवं तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम वेड प. ह. वेड की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076-2078 के खाता संख्या 92, 91 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति /ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है
०१.	प्रार्थी का नाम	फुलाल पिता राम लाल भीगा	फुलाल उर्फ मालू लाल उर्फ पिता राम लाल भीगा


 उपखण्ड अधिकारी
 जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री
3. रक्षित पत्रावली फुलाल उर्फ मालू लाल पिता राम लाल भीगा


 उपखण्ड अधिकारी
 जहाजपुर जिला भीलवाडा